भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1598

28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की वास्तविक आय का आकलन

1598. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने खेती की बढ़ती लागत, मुद्रास्फीति, जलवायु संबंधी नुकसान और ऋणग्रस्तता के समायोजन के बाद किसानों की वास्तविक आय का कोई स्वतंत्र आकलन किया है और क्या किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान खेती की लागत, औसत फार्म-गेट कीमतों, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), खरीद और अनुमानित शुद्ध कृषि आय का फसल-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्यों की गारंटी देने वाला एक कानूनी ढांचा, जिसमें एमएसपी के लिए वैधानिक गारंटी शामिल हो, बनाने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सतत कृषि आय सुनिश्चित करने, किसानों की ऋणग्रस्तता को कम करने और कृषि आजीविका को सुरक्षित करने के लिए क्या ठोस नीतिगत उपाय करने तथा कितनी बजटीय सहायता देने का विचार है और इसकी समय-सीमा क्या हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने एनएसएस 77 वें दौर (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के दौरान, कृषि वर्ष जुलाई, 2018-जून, 2019 के संदर्भ में, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, प्रति कृषक परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय वर्ष 2012-13 (एनएसएस 70वां दौर) में ₹6,426 से बढ़कर वर्ष 2018-19 (एनएसएस 77वां दौर) में ₹10,218 हो गई।

घरेलू उपभोग व्यय (2023-24) पर एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार, अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के आकलनों की तुलना ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में घरेलू व्यय में वृद्धि दर्शाती है, जो निम्नानुसार है:

क्षेत्र	विभिन्न अवधियों में औसत एमपीसीई (रुपए में)	
	वर्ष 2011-12 एनएसएस (68वां दौर)	2023-2024
ग्रामीण	1,430	4,122
शहरी	2,630	6,996

जिन फसलों के लिए एमएसपी घोषित की जाती है, उनकी खेती की लागत का विवरण https://cacp.da.gov.in पर उपलब्ध है। भारत में प्रमुख फसलों की फार्म हार्वेस्ट कीमतें https://desagri.gov.in पर उपलब्ध हैं।

प्रत्येक वर्ष, सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर तथा संबंधित राज्य सरकारों एवं केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात, देश भर के लिए 22 कृषि फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। यह नीति अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत का मार्जिन सुनिश्चित करती है। फसलवार न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा विगत पांच वर्षों के खरीद संबंधी आंकड़े **अनुबंध-I एवं II** पर दिये गए हैं।

(ग): सरकार ने किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं। सरकार द्वारा 22 अधिसूचित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2014 से, किसानों को लगभग 12819 एलएमटी कृषि उपज की एमएसपी खरीद के माध्यम से 27.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं।

सरकार किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने हेतु भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा अन्य नामित राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाज एवं मोटे अनाजों की खरीद करती है। कपास और जूट की खरीद भी सरकार द्वारा भारतीय कपास निगम (सीसीआई) एवं भारतीय जूट निगम (जेसीआई) के माध्यम से एमएसपी पर की जाती है। गन्ने की खरीद उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) पर की जाती है, जिसकी अनुशंसा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा की जाती है तथा प्रत्येक गन्ना सीजन के आरंभ होने से पूर्व सरकार द्वारा इसे अनुमोदन दिया जाता है।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना के माध्यम से कृषि उपज की खरीद, गेहूं और चावल के अतिरिक्त दलहन, तिलहन एवं बागवानी उपज तक विस्तारित हो गई है। तिलहन (मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, सरसों/राई, कुसुम), दलहन (अरहर, मूंग, उड़द, चना एवं मसूर) तथा कोपरा की खरीद, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की व्यापक योजना के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत, दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर तथा उपज का बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिरने पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) घटक के अंतर्गत, निर्धारित अवधि के भीतर अधिसूचित मार्केट यार्ड में पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित एफएक्यू मानकों के तिलहन बेचने वाले पूर्व-पंजीकृत किसानों को एमएसपी तथा विक्रय/मॉडल मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान प्राप्त होता है।

सरकार पीएम-आशा के अंतर्गत एक घटक, बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) का भी कार्यान्वयन करती है, जो उन कृषि एवं बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए है जो प्रकृति में शीघ्र नष्ट होने वाली हैं तथा एमएसपी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य इन वस्तुओं के उत्पादकों को, बंपर फसल की स्थिति में अधिकतम आवक अवधि के दौरान, जब कीमतें आर्थिक स्तर एवं उत्पादन लागत से नीचे गिरने लगती हैं, मजबूरन बिक्री से बचाना है। पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में प्रचलित बाजार कीमतों में कम से कम 10 प्रतिशत की गिरावट होनी चाहिए। यह योजना राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती है।

सरकार ने वर्ष 2024-25 सीजन से बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के अंतर्गत भावांतर भुगतान (पीडीपी) नामक एक नया घटक आरंभ किया है, ताकि शीघ्र नष्ट होने वाली फसलों के किसानों को बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) तथा विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किया जा सके। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास फसल की भौतिक खरीद करने अथवा किसानों को एमआईपी एवं विक्रय मूल्य के बीच अंतर भुगतान करने में से किसी एक विकल्प को चुनने की सुविधा है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 के सीजन से, सरकार ने किसानों के हित में टीओपी फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) को उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्यों तक परिवहन करने हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसियों एवं राज्य द्वारा नामित एजेंसियों को भंडारण एवं परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के अंतर्गत एक और घटक जोड़ा है।

उपभोक्ता मामले विभाग, समेकित पीएम-आशा के मूल्य स्थिरीकरण कोष घटक का प्रबंधन करता है, जिसके अंतर्गत तुअर, उड़द, चना, मूंग, मसूर और प्याज जैसी प्रमुख दलहनों के बफर स्टॉक को बनाए रखने हेतु खरीद की जाती है।

(घ): कृषि राज्य का विषय है। भारत सरकार देश भर में उत्पादन, उत्पादकता, किसानों की आय आदि बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की एक व्यापक शृंखला के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। इन योजनाओं में कृषि का संपूर्ण परिदृश्य शामिल है, जिसमें ऋण, बीमा, आय सहायता, इन्फ्रास्ट्रकचर, फसलें (बागवानी सहित), बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, प्रसार, डिजिटल कृषि तथा फसलों की खरीद शामिल हैं। योजनाओं की सूची **अनुबंध**-III पर दी गई है। ये योजनाएं संसद द्वारा समय-समय पर अनुमोदित बजटीय प्रावधानों के अध्यधीन निरंतर कार्यान्वित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बजट आवंटन को वर्ष **2013-14** के **₹27,662.67** करोड़ बजट अनुमान से बढ़ाकर वर्ष **2026-27** में **₹1,40,416.57** करोड़ बजट अनुमान कर दिया है।

अनुबंध-I

न्यूनतम समर्थन मूल्य (विपणन सीजन-वार)

(रुपये प्रति क्विंटल में)

क्र.सं.	कमोडिटी	केएमएस 2021-22	केएमएस 2022-23	केएमएस 2023-24	केएमएस 2024-25	केएमएस 2025-26
	खरीफ फसलें					
1	धान (सामान्य)	1940	2040	2183	2300	2369
	धान (ग्रेड 'ए')	1960	2060	2203	2320	2389
2	ज्वार (हाइब्रिड)	2738	2970	3180	3371	3699
	ज्वार (मालदंडी)	2758	2990	3225	3421	3749
3	बाजरा	2250	2350	2500	2625	2775
4	रागी	3377	3578	3846	4290	4886
5	मक्का	1870	1962	2090	2225	2400
6	अरहर	6300	6600	7000	7550	8000
7	मूंग	7275	7755	8558	8682	8768
8	उड़द	6300	6600	6950	7400	7800
9	कपास	5726	6080	6620	7121	7710
	कपास	6025	6380	7020	7521	8110
10	मूंगफली	5550	5850	6377	6783	7263
11	सूरजमुखी बीज	6015	6400	6760	7280	7721
12	सोयाबीन पीला	3950	4300	4600	4892	5328
13	तिल	7307	7830	8635	9267	9846
14	नाइजरसीड	6930	7287	7734	8717	9537
	रबी फसलें	**आरएमएस 2021-22**	**आरएमएस 2022-23**	**आरएमएस 2023-24**	**आरएमएस 2024-25**	**आरएमएस 2025-26**
15	गेहूं	1975	2015	2125	2275	2425
16	जौ	1600	1635	1735	1850	1980
17	चना	5100	5230	5335	5440	5650
18	मसूर	5100	5500	6000	6425	6700
19	रेपसीड एवं सरसों	4650	5050	5450	5650	5950
20	कुसुम	5327	5441	5650	5800	5940
	वाणिज्यिक फसलें					
		2021-22	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
21	जूट	4500	4750	5050	5335	5650
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
22	कोपरा (मिलिंग)	10335	10590	10860	11160	11582
	कोपरा (बॉल)	10600	11000	11750	12000	12100

अनुबंध-II

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	केएमएस 2021-22		केएमएस 2022-23		केएमएस 2023-24		केएमएस 2024-25		केएमएस 2025-26	
	धान खरीद (एलएमटी में)	एमएसपी मूल्य (रुपये करोड़ में)	धान खरीद (एलएमटी में)	एमएसपी मूल्य (रुपये करोड़ में)	धान खरीद (एलएमटी में)	एमएसपी मूल्य (रुपये करोड़ में)	धान खरीद (एलएमटी में)	एमएसपी मूल्य (रुपये करोड़ में)	धान खरीद (एलएमटी में)	एमएसपी मूल्य (रुपये करोड़ में)
आंध्र प्रदेश	66.58	13049.88	41.13	8471.77	30.43	6702.69	38.22	8866.10	59.09	14115.86
तेलंगाना	110.35	21629.48	93.86	19335.66	95.32	20998.88	97.15	22538.69	111.18	26560.07
असम	5.66	1108.65	5.98	1232.14	3.94	868.31	8.50	1973.13	6.89	1645.53
बिहार	44.90	8801.21	42.05	8661.76	30.79	6784.04	39.23	9100.41	36.79	8789.02
चंडीगढ़	0.27	53.48	0.19	38.81	0.25	55.40	0.26	60.62	0.19	46.30
छत्तीसगढ़	92.01	18033.96	87.53	18031.18	123.88	27290.90	116.42	27008.96	108.96	26029.40
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	1.22	238.86	1.77	364.32	0.85	187.15	0.35	81.39	0.67	161.15
हरियाणा	55.32	10842.82	59.36	12227.40	58.94	12984.85	53.99	12524.90	62.05	14824.8515
हिमाचल प्रदेश	0.28	54.15	0.14	28.99	0.23	50.44	0.37	85.61	0.21	50.47
झारखंड	7.53	1476.65	1.73	355.36	0.74	162.94	2.06	477.11	1.56	371.66
जम्मू और कश्मीर	0.41	79.42	0.34	69.17	0.24	52.56	0.33	75.81	0.50	118.87
कर्नाटक	2.19	428.61	0.21	42.43	0.00	0.00	0.01	1.16	0.06	13.56
केरल	7.48	1466.87	7.31	1506.24	5.59	1232.28	5.63	1306.04	5.11	1221.40
मध्य प्रदेश	45.83	8981.92	46.30	9537.48	42.16	9288.04	43.42	10073.29	51.75	12363.08
महाराष्ट्र	18.32	3590.87	18.48	3805.98	11.64	2563.42	15.93	3695.24	18.65	4455.79
ओडिशा	71.04	13923.27	79.16	16307.52	70.89	15616.96	85.55	19847.60	79.70	19041.47
पुडुचेरी	0.00	0.68	0.00	0.16	0.00	0.54	0.00	0.35	0.00	0.12
पंजाब	187.28	36707.54	182.11	37513.74	185.28	40817.93	173.33	40212.78	156.50	37387.9568
एनईएफ (त्रिपुरा)	0.58	113.37	0.45	92.21	0.32	70.67	0.36	84.55	0.18	43.50
तमिलनाडु	27.58	5406.13	33.84	6970.08	34.96	7702.13	47.99	11133.67	40.68	9718.08409
उत्तर प्रदेश	65.53	12843.94	65.50	13493.65	53.80	11852.21	57.71	13387.96	62.31	14885.23
उत्तराखंड	11.55	2264.71	8.96	1845.34	7.30	1607.84	6.73	1561.91	7.50	1791.38
पश्चिम बंगाल	35.31	6920.23	32.09	6609.51	24.69	5439.19	29.28	6792.99	24.57	5869.42
राजस्थान	0.07	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
अखिल भारत कुल	**857.30**	**168031.12**	**808.45**	**166540.91**	**782.25**	**172329.35**	**822.80**	**190890.27**	**835.10**	**199504.20**

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	आरएमएस 2021-22		आरएमएस 2022-23		आरएमएस 2023-24		आरएमएस 2024-25		आरएमएस 2025-26	
	गेहूं खरीद (एलएमटी में)	एमएसपी (@रुपये1975/क्विंटल) मूल्य (रुपये करोड़ में)	गेहूं खरीद (एलएमटी में)	एमएसपी (@रुपये2015/क्विंटल) मूल्य (रुपये करोड़ में)	गेहूं खरीद (एलएमटी में)	एमएसपी (@रुपये2125/क्विंटल) मूल्य (रुपये करोड़ में)	गेहूं खरीद (एलएमटी में)	एमएसपी (@रुपये2275/क्विंटल) मूल्य (रुपये करोड़ में)	गेहूं खरीद (एलएमटी में)	एमएसपी (@रुपये2425/क्विंटल) मूल्य (रुपये करोड़ में)
पंजाब	132.22	26113.81	96.45	19434.92	121.12	25738.48	124.58	28340.95	119.19	28903.4
हरियाणा	84.93	16774.05	41.86	8434.01	63.17	13422.92	71.50	16267.26	70.83	17176.1
उत्तर प्रदेश	56.41	11141.19	3.36	676.29	2.20	467.07	9.31	2118.06	10.27	2491.25
मध्य प्रदेश	128.16	25312.06	46.04	9276.13	70.97	15080.67	48.39	11007.94	77.74	18853.1
बिहार	4.56	899.70	0.04	7.09	0.01	1.28	0.10	22.27	0.18	43.8157
राजस्थान	23.40	4621.31	0.10	20.49	4.38	930.19	12.05	2741.92	21.37	5181.45
उत्तराखंड	1.44	283.86	0.02	4.29	0.00	0.67	0.02	3.87	0.01	1.26961
चंडीगढ़	0.17	33.46	0.03	6.49	0.10	21.16	0.08	18.67	0.09	21.9826
दिल्ली	0.06	11.76	0.00001	0.0010	0.00	0.00	0.00	0.00		0
गुजरात	1.70	336.63	0.0001	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	9.16759
झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0
महाराष्ट्र	0.01	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0
हिमाचल प्रदेश	0.13	25.75	0.03	5.91	0.03	6.09	0.03	6.55	0.03	7.26518
जम्मू और कश्मीर	0.24	48.01	0.003	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0
अखिल भारत कुल	**433.44**	**85603.57**	**187.92**	**37866.13**	**261.97**	**55668.53**	**266.05**	**60527.495**	**299.75**	**72688.9**

वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पीएसएस के तहत एमएसपी पर खरीदी गई दलहन, तिलहन एवं कोपरा की खरीद का विवरण

वर्ष/सीजन/कमोडिटी/राज्य	खरीदी गई मात्रा (मीट्रिक टन में)	एमएसपी मूल्य (रुपये लाख में)
2021-22	**31,82,591.64**	**17,47,831.41**
बारहमासी फसल 2021	**32.95**	**34.05**
कोपरा	**32.95**	**34.05**
तमिलनाडु	32.95	34.05
खरीफ 2021	**2,62,512.04**	**1,61,511.71**
मूंगफली	**1,49,447.91**	**82,943.59**
गुजरात	95,183.10	52,826.62
राजस्थान	53,203.93	29,528.18
उत्तर प्रदेश	1,060.88	588.79
मूंग	**75,258.69**	**54,750.70**
आंध्र प्रदेश	1,310.17	953.15
गुजरात	1.49	1.08
हरियाणा	1,227.26	892.83
कर्नाटक	13,863.15	10,085.44
महाराष्ट्र	1,636.21	1,190.34
राजस्थान	57,220.41	41,627.85
तुअर	**36,184.14**	**22,796.01**
गुजरात	19,983.08	12,589.34
कर्नाटक	11,986.05	7,551.21
महाराष्ट्र	2,360.82	1,487.32
तमिलनाडु	32.85	20.7
तेलंगाना	1,821.34	1,147.44
उड़द	**1,621.30**	**1,021.42**
गुजरात	99.85	62.91
महाराष्ट्र	1,481.37	933.26
राजस्थान	40.08	25.25
रबी 2022	**26,40,699.20**	**13,83,088.84**
चना	**26,29,460.83**	**13,75,208.01**
आंध्र प्रदेश	70,393.81	36,815.96
गुजरात	5,36,225.00	2,80,445.68
हरियाणा	1,238.80	647.89
कर्नाटक	73,816.85	38,606.21
मध्य प्रदेश	8,01,984.49	4,19,437.89
महाराष्ट्र	7,61,541.55	3,98,286.23

राजस्थान	2,98,685.74	1,56,212.64
तेलंगाना	58,485.04	30,587.68
उत्तर प्रदेश	27,089.55	14,167.83
मूंगफली	**248.43**	**137.88**
ओडिशा	248.43	137.88
मूंग	**8,959.85**	**6,518.29**
आंध्र प्रदेश	899.35	654.28
ओडिशा	3,800.95	2,765.19
तमिलनाडु	4,259.55	3,098.82
सूरजमुखी बीज	**1,905.44**	**1,146.12**
हरियाणा	1,882.45	1,132.29
ओडिशा	22.99	13.83
उड़द	**124.65**	**78.53**
तेलंगाना	124.65	78.53
ग्रीष्म 2022	**2,79,347.45**	**2,03,196.81**
मूंग	**2,79,055.55**	**2,03,012.91**
गुजरात	851.35	619.36
मध्य प्रदेश	2,75,645.00	2,00,531.74
पंजाब	2,559.20	1,861.82
उड़द	**291.9**	**183.9**
मध्य प्रदेश	291.9	183.9

वर्ष/सीजन/कमोडिटी/ राज्य	खरीदी गई मात्रा (मीट्रिक टन में)	एमएसपी मूल्य (रुपये लाख में)
2022-23	**40,02,057.73**	**22,72,822.93**
बारहमासी फसल 2022	**40,849.36**	**43,259.47**
कोपरा	**40,849.36**	**43,259.47**
केरल	255.85	270.95
तमिलनाडु	40,593.51	42,988.53
खरीफ 2022	**1,27,197.36**	**97,289.15**
मूंगफली	**7,077.14**	**4,140.13**
राजस्थान	1,012.72	592.44
उत्तर प्रदेश	6,064.42	3,547.69
मूंग	**1,20,083.77**	**93,124.96**
गुजरात	30.6	23.73
हरियाणा	798.78	619.45
कर्नाटक	25,308.70	19,626.90
महाराष्ट्र	183.9	142.61
राजस्थान	93,703.44	72,667.02
तेलंगाना	58.35	45.25
उड़द	**36.45**	**24.06**
महाराष्ट्र	35.8	23.63
राजस्थान	0.65	0.43
रबी 2023	**35,56,333.44**	**19,16,935.36**
चना	**23,53,114.66**	**12,55,386.67**
आंध्र प्रदेश	63,132.10	33,680.98
गुजरात	3,28,449.83	1,75,227.98
कर्नाटक	79,536.65	42,432.80
मध्य प्रदेश	7,95,997.03	4,24,664.42
महाराष्ट्र	7,72,857.96	4,12,319.72
राजस्थान	2,47,318.15	1,31,944.23
तेलंगाना	50,238.00	26,801.97
उत्तर प्रदेश	15,584.94	8,314.57
मूंगफली	**116.97**	**68.43**
ओडिशा	116.97	68.43
मसूर	**76,474.57**	**45,884.74**
मध्य प्रदेश	64,460.92	38,676.55

उत्तर प्रदेश	12,013.65	7,208.19
मूंग	**4,014.08**	**3,112.92**
ओडिशा	1,878.88	1,457.07
तमिलनाडु	2,135.20	1,655.85
सरसों बीज	**11,14,395.76**	**6,07,345.69**
असम	3,273.30	1,783.95
गुजरात	84,336.97	45,963.65
हरियाणा	3,41,758.49	1,86,258.38
मध्य प्रदेश	1,67,090.96	91,064.57
राजस्थान	4,85,567.67	2,64,634.38
उत्तर प्रदेश	32,368.37	17,640.76
कुसुम बीज	**1,629.68**	**920.77**
कर्नाटक	1,629.68	920.77
सूरजमुखी बीज	**6,587.72**	**4,216.14**
ओडिशा	87.72	56.14
तेलंगाना	6,500.00	4,160.00
ग्रीष्म 2023	**2,77,677.57**	**2,15,338.96**
मूंग	**2,77,677.57**	**2,15,338.96**
हरियाणा	13.55	10.51
मध्य प्रदेश	2,75,645.01	2,13,762.71
पंजाब	2,019.01	1,565.74

वर्ष/सीजन/कमोडिटी/राज्य	खरीदी गई मात्रा (मीट्रिक टन में)	एमएसपी मूल्य (रुपये लाख में)
2023-24	**21,35,125.54**	**14,22,646.04**
बारहमासी फसल 2023	**1,34,341.36**	**1,50,361.10**
कोपरा	**1,34,341.36**	**1,50,361.10**
आंध्र प्रदेश	4,035.95	4,383.04
कर्नाटक	50,184.08	58,966.29
केरल	1,118.30	1,214.47
तमिलनाडु	79,003.03	85,797.29
खरीफ 2023	**1,40,323.26**	**1,00,159.44**
मूंगफली	**74,824.60**	**47,715.65**
गुजरात	1,224.31	780.74
राजस्थान	46,452.83	29,622.97
उत्तर प्रदेश	27,147.46	17,311.94
मूंग	**53,786.20**	**46,030.23**
हरियाणा	741	634.15
राजस्थान	53,045.20	45,396.08
सोयाबीन	**6,963.22**	**3,203.08**
गुजरात	111.5	51.29
महाराष्ट्र	769.47	353.96
तेलंगाना	6,082.25	2,797.84
सूरजमुखी बीज	**4,749.24**	**3,210.49**
कर्नाटक	4,749.24	3,210.49
रबी 2024	**15,17,831.72**	**8,78,903.43**
चना	**43,120.95**	**23,457.80**
गुजरात	139.15	75.7
मध्य प्रदेश	41,168.52	22,395.67
राजस्थान	1,248.93	679.42
तेलंगाना	564.35	307.01
मूंगफली	**1,329.18**	**847.62**
ओडिशा	1,329.18	847.62
मसूर	**2,48,551.25**	**1,59,694.18**
मध्य प्रदेश	2,05,739.96	1,32,187.92
उत्तर प्रदेश	42,811.29	27,506.25
मूंग	**5,681.72**	**4,862.42**
ओडिशा	3,757.57	3,215.73

तमिलनाडु	1,924.15	1,646.69
सरसों बीज	**12,07,809.59**	**6,82,412.42**
असम	11,102.05	6,272.66
गुजरात	1,15,225.80	65,102.58
हरियाणा	3,25,938.06	1,84,155.00
मध्य प्रदेश	3,58,649.99	2,02,637.24
राजस्थान	3,51,846.63	1,98,793.35
उत्तर प्रदेश	45,047.06	25,451.59
कुसुम बीज	**376.92**	**218.61**
कर्नाटक	376.92	218.61
सूरजमुखी बीज	**10,962.11**	**7,410.39**
हरियाणा	7,163.03	4,842.21
ओडिशा	69.1	46.71
तेलंगाना	3,729.98	2,521.47
ग्रीष्म 2024	**3,42,629.20**	**2,93,222.07**
मूंग	**3,42,629.20**	**2,93,222.07**
गुजरात	1,269.70	1,086.61
मध्य प्रदेश	3,30,212.50	2,82,595.86
उत्तर प्रदेश	11,147.00	9,539.60

वर्ष/सीजन/कमोडिटी/राज्य	खरीदी गई मात्रा (मीट्रिक टन में)	एमएसपी मूल्य (रुपये लाख में)
2024-25	**62,52,564.18**	**40,03,172.52**
बारहमासी फसल 2024	**97,334.56**	**1,14,346.95**
कोपरा	**97,334.56**	**1,14,346.95**
आंध्र प्रदेश	1,036.80	1,157.07
कर्नाटक	68,108.11	81,729.73
तमिलनाडु	28,189.65	31,460.15
खरीफ 2024	**45,71,498.71**	**28,05,393.85**
मूंगफली	**17,69,608.68**	**12,00,325.57**
गुजरात	12,22,937.34	8,29,518.40
कर्नाटक	2,053.52	1,392.90
राजस्थान	4,38,252.36	2,97,266.58
उत्तर प्रदेश	1,06,365.46	72,147.69
मूंग	**1,77,204.40**	**1,53,848.86**
गुजरात	353.6	307
हरियाणा	2,664.15	2,313.02
कर्नाटक	26,728.35	23,205.55
महाराष्ट्र	583.02	506.18
राजस्थान	1,45,884.84	1,26,657.22
तेलंगाना	990.44	859.9
सोयाबीन	**19,95,156.51**	**9,76,030.56**
छत्तीसगढ़	11.1	5.43
गुजरात	55,211.05	27,009.25
कर्नाटक	18,199.85	8,903.37
मध्य प्रदेश	6,21,879.35	3,04,223.38
महाराष्ट्र	11,20,014.50	5,47,911.09
राजस्थान	98,718.63	48,293.15
तेलंगाना	81,122.03	39,684.90
सूरजमुखी बीज	**3,753.00**	**2,732.18**
कर्नाटक	3,753.00	2,732.18
तुअर	**6,25,489.46**	**4,72,244.54**
आंध्र प्रदेश	79,993.10	60,394.79
गुजरात	1,56,466.27	1,18,132.03
कर्नाटक	2,16,303.55	1,63,309.18

मध्य प्रदेश	7,418.00	5,600.59
महाराष्ट्र	1,33,229.90	1,00,588.57
तेलंगाना	13,177.88	9,949.30
उत्तर प्रदेश	18,900.76	14,270.07
उड़द	**286.66**	**212.13**
महाराष्ट्र	250.95	185.7
राजस्थान	35.71	26.43
रबी 2025	**11,04,844.51**	**6,74,128.91**
चना	**3,17,091.41**	**1,79,156.65**
आंध्र प्रदेश	175.55	99.19
छत्तीसगढ़	2,075.70	1,172.77
गुजरात	1,50,447.60	85,002.89
हरियाणा	5.3	2.99
मध्य प्रदेश	98,978.98	55,923.12
महाराष्ट्र	5,246.81	2,964.45
राजस्थान	54,334.37	30,698.92
तेलंगाना	5,815.90	3,285.98
उत्तर प्रदेश	11.2	6.33
मूंगफली	**4,779.63**	**3,242.02**
ओडिशा	2,041.75	1,384.92
तेलंगाना	2,737.88	1,857.10
मसूर	**2,48,051.79**	**1,66,194.70**
मध्य प्रदेश	2,12,319.82	1,42,254.28
उत्तर प्रदेश	35,731.97	23,940.42
मूंग	**19,201.65**	**16,670.87**
आंध्र प्रदेश	6,002.50	5,211.37
ओडिशा	10,312.35	8,953.18
तमिलनाडु	2,886.80	2,506.32
सरसों बीज	**5,00,725.80**	**2,97,931.85**
असम	3,133.80	1,864.61
छत्तीसगढ़	106.75	63.52
गुजरात	54,211.10	32,255.60
हरियाणा	3,22,370.00	1,91,810.15
मध्य प्रदेश	50,551.67	30,078.24
राजस्थान	70,095.18	41,706.63
उत्तर प्रदेश	257.3	153.09
सूरजमुखी बीज	**13,575.98**	**9,883.31**

हरियाणा	8,862.88	6,452.18
कर्नाटक	2,145.00	1,561.56
ओडिशा	48.1	35.02
तेलंगाना	2,520.00	1,834.56
उड़द	**1,418.25**	**1,049.51**
आंध्र प्रदेश	95.3	70.52
ओडिशा	317.15	234.69
तमिलनाडु	1,005.80	744.29
ग्रीष्म 2025	**4,78,886.40**	**4,09,302.81**
मूंगफली	**28,125.25**	**19,077.36**
उत्तर प्रदेश	28,125.25	19,077.36
मूंग	**4,41,982.85**	**3,83,729.51**
गुजरात	17,935.05	15,571.21
मध्य प्रदेश	3,93,123.79	3,41,310.07
उत्तर प्रदेश	30,924.01	26,848.23
उड़द	**8,778.30**	**6,495.94**
मध्य प्रदेश	8,778.30	6,495.94

वर्ष/सीजन/कमोडिटी/राज्य	खरीदी गई मात्रा (मीट्रिक टन में)	एमएसपी मूल्य (रुपये लाख में)
2025-26	**61,12,875.59**	**40,66,019.31**
खरीफ 2025	**36,81,308.53**	**25,93,047.94**
मूंगफली	**21,04,545.16**	**15,28,531.15**
गुजरात	17,41,518.86	12,64,865.15
कर्नाटक	791.84	575.11
राजस्थान	3,13,287.86	2,27,540.97
उत्तर प्रदेश	48,946.60	35,549.92
मूंग	**1,70,020.69**	**1,49,074.14**
आंध्र प्रदेश	902.9	791.66
गुजरात	792.95	695.26
कर्नाटक	4,303.55	3,773.35
राजस्थान	1,62,818.94	1,42,759.65
उत्तर प्रदेश	1,202.35	1,054.22
सोयाबीन	**7,78,827.56**	**4,14,959.32**
छत्तीसगढ़	31.95	17.02
गुजरात	78,419.78	41,782.06
कर्नाटक	42,003.15	22,379.28

महाराष्ट्र	6,02,048.48	3,20,771.43
राजस्थान	17,390.45	9,265.63
तेलंगाना	38,933.75	20,743.90
सूरजमुखी बीज	**8,246.30**	**6,366.97**
कर्नाटक	8,246.30	6,366.97
तुअर	**5,38,733.99**	**4,30,987.19**
आंध्र प्रदेश	1,00,534.40	80,427.52
छत्तीसगढ़	81.95	65.56
गुजरात	2,03,018.75	1,62,415.00
कर्नाटक	76,270.58	61,016.46
मध्य प्रदेश	2,446.58	1,957.26
महाराष्ट्र	1,43,145.25	1,14,516.20
ओडिशा	1,354.20	1,083.36
तेलंगाना	6,381.38	5,105.10
उत्तर प्रदेश	5,500.90	4,400.72
उड़द	**80,934.83**	**63,129.17**
गुजरात	3,044.10	2,374.40
कर्नाटक	9,216.35	7,188.75
महाराष्ट्र	1,429.07	1,114.67
राजस्थान	492.45	384.11
उत्तर प्रदेश	66,752.86	52,067.23
रबी 2026	**24,27,343.06**	**14,69,606.82**
चना	**20,54,084.60**	**12,06,774.70**
आंध्र प्रदेश	96,867.35	56,909.57
छत्तीसगढ़	35,413.18	20,805.24
गुजरात	3,90,807.34	2,29,599.31
हरियाणा	1,838.40	1,080.06
कर्नाटक	97,180.25	57,093.40
मध्य प्रदेश	2,95,908.27	1,73,846.11
महाराष्ट्र	8,21,268.40	4,82,495.19
राजस्थान	2,83,397.93	1,66,496.28
तेलंगाना	30,167.58	17,723.45
उत्तर प्रदेश	1,235.90	726.09
मूंगफली	**709.95**	**515.64**
ओडिशा	709.95	515.64
मसर	**2,59,154.61**	**1,81,408.23**
बिहार	2,982.18	2,087.53
छत्तीसगढ़	377.28	264.1

मध्य प्रदेश	2,01,779.15	1,41,245.41
उत्तर प्रदेश	54,016.00	37,811.20
मूंग	**30,358.75**	**26,618.55**
आंध्र प्रदेश	14,518.20	12,729.56
ओडिशा	14,900.85	13,065.07
तमिलनाडु	939.7	823.93
सरसों बीज	**63,578.57**	**39,418.71**
असम	77.15	47.83
छत्तीसगढ़	1,294.17	802.39
गुजरात	5,615.40	3,481.55
हरियाणा	56,435.35	34,989.92
राजस्थान	156.5	97.03
कुसुम	**299.4**	**195.81**
कर्नाटक	299.4	195.81
कुसुम बीज	**2,577.68**	**1,784.53**
कर्नाटक	2,577.68	1,784.53
सूरजमुखी बीज	**12,797.20**	**9,880.72**
हरियाणा	7,540.40	5,821.94
कर्नाटक	154	118.9
ओडिशा	14.8	11.43
तेलंगाना	5,088.00	3,928.44
तअर	**2,987.10**	**2,389.68**
आंध्र प्रदेश	2,987.10	2,389.68
उड़द	**795.2**	**620.26**
आंध्र प्रदेश	39.2	30.58
ओडिशा	756	589.68
ग्रीष्म 2026	**4,224.00**	**3,364.54**
मूंग	**985.05**	**863.69**
गुजरात	118	103.46
मध्य प्रदेश	867.05	760.23
सूरजमुखी बीज	**3,231.60**	**2,495.12**
हरियाणा	3,231.60	2,495.12
उड़द	**7.35**	**5.73**
मध्य प्रदेश	7.35	5.73

अनुबंध- III

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाएँ एवं कार्यक्रम

1. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) -**पीएम-किसान यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसके तहत पात्र किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान की जाती है।

2. **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) -**किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिए, सरकार राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), भावान्तर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के घटकों के साथ पीएम-आशा योजना लागू करती है। पीएसएस के तहत अधिसूचित दलहन, तिलहनों और खोपरा की उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की जाती है, जब भी बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिर जाता है। पीडीपीएस के तहत एमएसपी और आदर्श/बिक्री मूल्य के बीच के भावांतर का भुगतान पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में सीधे किया जाता है, जो एपीएमसी में अपने उचित गुणवत्ता की अधिसूचित तिलहन की बिक्री/व्यापार करते हैं। यह भुगतान पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित अवधि के भीतर किया जाता है। एमआईएस के तहत उन नाशवान प्रकृति की कृषि और बागवानी फसलों की खरीद/कवरेज की जाती है जिनके लिए एमएसपी घोषित नहीं किया गया है।

3. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) -**पीएमएफबीवाई संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों के लिए बुवाई पूर्व से लेकर फसलोपरांत क्षति के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करता है। देशभर के किसानों से बेहद कम प्रीमियम लिया जाता है, जो खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का अधिकतम 2%, रबी फसलों के लिए बीमा राशि का अधिकतम 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमा राशि का अधिकतम 5% है। शेष प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में साझा की जाती है, पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से) छोड़कर जहां यह 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है।

4. **संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) -**एमआईएसएस एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य किसानों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है, ताकि वे अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। इस योजना के तहत, किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण प्राप्त होते हैं। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% के अग्रिम ब्याज अनुदान प्रदान किए जाते है। इसके अतिरिक्त, जो किसान समय पर ऋण चुकाते हैं, उन्हें 3% का शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) प्राप्त होता है, जिससे ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है।

5. **प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) -**पीएमकेएमवाई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के किसानों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान है, तथापि कुछ अपवर्जन भी लागू होते हैं। अंशदान राशि किसान की आयु के आधार पर 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह तक होती है। भारत सरकार भी प्रत्येक लाभार्थी के लिए किसान को उतनी ही राशि का योगदान देती है।
6. **समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) -**एमआईडीएच के अंतर्गत, आम सहित बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार से संबंधित गतिविधियों के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। रोपण सामग्री का उत्पादन, सब्जी के बीजों का उत्पादन, उन्नत किस्मों से क्षेत्र को कवर करने, पुराने बागानों का पुनरुद्धार, संरक्षित खेती, जल संसाधनों का सृजन, एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम), एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम), जैविक खेती, जिसमें जैविक इनपुट का स्थानीय उत्पादन भी शामिल है, जैसी गतिविधियों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है, ताकि फलों और सब्जियों का विकास हो सके। किसानों और तकनीशियनों की क्षमता निर्माण के लिए भी उन्नत तकनीकों को अपनाने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। योजना में उपज की बेहतर कीमत प्राप्त करने के लिए फसलोपरांत प्रबंधन (पीएचएम) और विपणन की व्यवस्था भी शामिल है।

7. **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - ऑयल पाम -** राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - ऑयल पाम - यह मिशन किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री, अंतरफसल खेती के लिए आवश्यक सामग्री, चार वर्ष की विकास अवधि के दौरान रखरखाव और पुराने एवं अनुत्पादक बागानों के पुनर्रोपण में सहायता शामिल है। कृषि मशीनरी और सिंचाई सुविधाओं जैसी अतिरिक्त सामग्रियों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को मूल्य अस्थिरता से बचाने और सुनिश्चित लाभ सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने व्यवहार्यता अंतर भुगतान (वीजीपी) व्यवस्था आरंभ की है, जो किसानों को प्रतिकूल प्राइस शॉक के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान करती है।
8. **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - तिलहन -**एनएमईओ-ओएस का उद्देश्य कृषि संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और निजी भागीदारों को शामिल करते हुए फसल-विशिष्ट समूहों के भीतर अनुसंधान, उन्नत किस्मों और प्रौद्योगिकी प्रसार के माध्यम से लगभग -60% उपज अंतर को कम करके घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ाना है। यह मिशन परती और अंतर्फसली क्षेत्रों में तिलहन के विस्तार को बढ़ावा देता है, बीज पद्धतियों को सुदृढ़ करता है और मूल्य श्रृंखला एकीकरण के माध्यम से बाजार संबंधों को बेहतर बनाता है।
9. **दलहन आत्मनिर्भरता मिशन -** दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए घरेलू उत्पादन को सुदृढ़ करना और आयात पर निर्भरता कम करना है। छह वर्षों की अवधि में ₹11,440 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ, यह मिशन अरहर, उड़द और मसूर के संवर्धन पर विशेष बल देता है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य दलहन उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना, खेती के क्षेत्र का विस्तार 35 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करना है - विशेष रूप से धान की परती भूमि में और अंतरफसल प्रणालियों के माध्यम से - लगभग 310 लाख हेक्टेयर तक पहुंचना और

बेहतर बीज उपलब्धता, उन्नत कृषि पद्धतियों और सुदृढ़ विस्तार समर्थन के माध्यम से उत्पादकता को 1,130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाना है।

10. **राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) -** इस मिशन का उद्देश्य कृषि पद्धतियों को सुदृढ़ बनाना है, जिसके लिए वैज्ञानिक रूप से समर्थित एग्रो इकोलॉजिकल दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। इसका लक्ष्य सततता, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करना है। किसानों को सरल प्रमाणन प्रणाली और एक विशेष ब्रांडिंग प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने प्राकृतिक कृषि उत्पादों को बाजार में सुगमता से बेच सकें। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एनएमएनएफ के कार्यान्वयन के रियल टाइम में जियो-टैग और संदर्भित निगरानी की जाती है। मिशन के तहत, प्रति किसान प्रति एकड़ ₹4,000 की उपज आधारित प्रोत्साहन राशि दो वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाती है।

11. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) -**एनएफएसएनएम के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों, नई जारी किस्मों/हाइब्रिडो के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों, फसल सीजन के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण आदि पर प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

12. **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)**- इन क्रियाकलापों में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को अपनाकर परागण के माध्यम से विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने पर बल दिया जाता है, साथ ही मधुमक्खी पालन/मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त उत्पादों के फसलोपरांत प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें संग्रह, प्रोसेसिंग, भंडारण, विपणन, मूल्यसंवर्धन आदि शामिल हैं और इन गतिविधियों के लिए अपेक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास पर भी बल दिया जाता है।

13. **कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)** किसानों के लिए कृषि मशीनरी को अधिक सुगम और किफायती बनाने के प्रयोजनार्थ से, कृषि मशीनरी की खरीद के लिए किसानों की श्रेणी के आधार पर मशीनरी की लागत का 40-50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/छोटे एवं सीमांत किसान/पूर्वोत्तर राज्य के किसान/महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता मशीनरी की लागत का 50% है। किसानों को किराये पर मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, परियोजना लागत के 250 लाख रुपये तक के कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और कृषि मशीनरी बैंकों (एफएमबी) की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 80% वित्तीय सहायता 30 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के लिए एफएमबी और सीएचजी को प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में एफएमबी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की दर परियोजना लागत का 95% है।

14. **कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई) -**यह योजना राज्य सरकारों के कृषि विस्तार प्रणाली के पुनरुद्धार और किसानों को नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों और उत्तम कृषि पद्धतियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों का समर्थन करती है ताकि विभिन्न विस्तार गतिविधियों जैसे किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर विजिट, किसान मेला, किसान समूहों का एकत्रीकरण और फार्म स्कूलों की स्थापना के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

15. **डिजिटल कृषि मिशन (डीएएम) -**डिजिटल कृषि मिशन ने देश में एक सशक्त डिजिटल कृषि इकोसिस्टम बनाने के लिए एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (कृषि डीएसएस) और भूमि उर्वरता प्रोफाइल जैसे डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के निर्माण की परिकल्पना की है। इसके साथ, किसान-केंद्रित नए डिजिटल सॉल्यूशनों को बढ़ावा दिया जाएगा और सभी किसानों को समय पर और विश्वसनीय फसल संबंधी जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
'भारत-विस्तार (कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वर्चुअल रूप से एकीकृत प्रणाली) एक बहुभाषी एआई उपकरण है जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करने और किसानों को अनुकूलित परामर्शी सहायता प्रदान करके जोखिम को कम करने के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल और आईसीएआर के कृषि पद्धतियों से संबंधित पैकेज को एआई प्रणालियों के साथ एकीकृत करता है।

16. **राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)** एनबीएम का ध्यान मुख्य रूप से बांस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास पर है। इसका उद्देश्य समूह आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए बांस उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ना है। एनबीएम के तहत किसानों, कारीगरों और उद्यमियों को बांस नर्सरी, बांस बागान और प्राइमरी प्रोसेसिंग, उत्पाद प्रबंधन और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी मूल्य श्रृंखला यूनिटों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

17. **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) -** एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत, किसान उत्पादक संगठन के गठन, जैविक इनपुट के लिए किसानों को सहायता आदि हेतु 3 वर्षों में 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि से इतर/कृषि पर जैविक इनपुट के लिए 32,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 15,000 रुपये शामिल हैं।

18. **सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी योजना** इसका गठन राज्यों को एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए किया गया था, जिसमें द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों का जैविक खाद और जैव उर्वरकों के साथ विवेकपूर्ण उपयोग शामिल है, ताकि सॉयल हेल्थ और उसकी उत्पादकता में सुधार हो सके। राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन और परिचर्चा कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों में सॉयल हेल्थ कार्ड की सिफारिशों के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाती है।

19. **परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)** यह योजना जैविक किसानों को उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, प्रमाणीकरण और विपणन तक संपूर्ण सहायता प्रदान करती है, जो क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) जैविक क्लस्टरों का गठन करना है ताकि उन्हें आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद मिल सके। पीकेवीवाई के तहत, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये की सहायता किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से ऑन फार्म और ऑफ फार्म जैविक इनपुट के लिए प्रदान की जाती है।

20. **प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)** यह योजना सूक्ष्म सिंचाई, विशेष रूप से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से कृषि स्तर पर जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। सरकार छोटे और सीमांत किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियाँ इंस्टॉल करने के लिए 55% और अन्य किसानों को 45% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य सरकारें अपने राज्य बजट से किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए सहायता प्रति लाभार्थी 5 हेक्टेयर तक सीमित है।

21. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (आरकेवीवाई-डीपीआर)** इस योजना के तहत, राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर अपने व्यय में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के रूप में धनराशि जारी की जाती है। राज्यों को योजनाओं के चयन, योजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में अनुकूलन और स्वायत्तता प्राप्त है, ताकि वे अपनी प्राथमिकताओं और कृषि-जलवायु संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप निवेश कर सकें। वर्ष 2015-16 से, योजना का वित्तपोषण अनुपात केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) है। हालांकि, केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तपोषण पेटर्न 100% केंद्र सरकार द्वारा ही दिया जाता है। इस योजना में नवाचार और कृषि-उद्यमिता कार्यक्रम के लिए भी निधि शामिल है।

22. **फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)** धान की अत्यधिक जल खपत वाली फसल के क्षेत्र को दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज आदि जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर रूख करने के लिए सीडीपी क्रियान्वित की गई थी। सीडीपी के तहत, वैकल्पिक फसल प्रदर्शन, कृषि मशीनीकरण और मूल्यवर्धन वस्तुओं, स्थल-विशिष्ट गतिविधियों और जागरूकता, प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्यों में तंबाकू की फसल को परिवर्तित करने के लिए सीडीपी का विस्तार किया गया था।

23. **वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)** यह योजना उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर केंद्रित है। राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आधार पर केंद्रीय सहायता जारी की जाती है। भूमि के आकार की परवाह किए बिना, आरएडी घटक के तहत प्रत्येक किसान परिवार को उनकी भू-जोत के आकार की परवाह किए बिना 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

24. **राष्ट्रीय मखाना बोर्ड (एनएमबी)** मखाना (फॉक्स नट) क्षेत्र के एकीकृत विकास को बढ़ावा देने के लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित और 15 सितंबर 2025 को प्रारंभ किए गए इस बोर्ड का उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने, गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता में सुधार करना, फसलोपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, मूल्यसंवर्धन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात को सुगम बनाना और प्रशिक्षण एवं विस्तार के माध्यम से किसानों की क्षमता का निर्माण करना है।

25. **एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)**- एआईएफ के अंतर्गत इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि संबंधी परिसंपत्तियों जैसे वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग यूनिट, प्राइमरी प्रोसेसिंग केंद्र, पैक हाउस और अन्य आपूर्ति श्रृंखला इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण दिया जाता है। यह योजना 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 3% प्रति वर्ष की ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी फंड के तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करती है।

26. **10,000 नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन और संवर्धन-** देश में "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन के लिए एक स्पष्ट कार्यनीति और समर्पित संसाधनों के साथ परियोजना प्रारंभ की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन करना है। प्रत्येक एफपीओ 3 वर्षों की अवधि के लिए 18.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक एफपीओ सदस्य किसान को 2,000 रुपये तक का इक्विटी अनुदान दिया जाएगा, जिसकी सीमा प्रति एफपीओ 15.00 लाख रुपये है। साथ ही, पात्र ऋणदाता संस्थाओं से प्रति एफपीओ 2 करोड़ रुपये तक के परियोजना ऋण की ऋण गारंटी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि एफपीओ को संस्थागत ऋण की सुविधा मिल सके। एफपीओ के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए भी उचित प्रावधान किए गए हैं।

27. **स्टार्ट-अप एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड (एग्रीश्योर) -**एग्रीश्योर फंड का उद्देश्य कृषि मूल्य श्रृंखला से जुड़े स्टार्टअप्स को सहयोग देना है, जिससे कृषि क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिले और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर तथा पूंजी उपलब्ध कराकर स्टार्टअप्स की वृद्धि को गति दी जा सके। इसके अलावा, यह युवा उद्यमियों और उनके नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। यह पहल कृषि उत्पादों की मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करेगी और कृषि में निवेश बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। साथ ही, यह नई तकनीकों और मशीनरी को अपनाने के लिए बढ़ावा देकर किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों की सहायता करेगी। एसईबीआई द्वारा पंजीकृत श्रेणी II, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के रूप में 750 करोड़ रुपए का मिश्रित पूंजी फंड बनाया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार का योगदान 250 करोड़ रुपए, नाबार्ड का 250 करोड़ रुपए है और बैंकों, बीमा कंपनियों और निजी निवेशकों से ₹250 करोड़ जुटाए जा रहे हैं।

28. **एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) -**आईएसएएम, बाजार संरचनाओं के निर्माण और सुधार, क्षमता निर्माण और बाजार संबंधी जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के माध्यम से कृषि उपज विपणन के संचालन में राज्य सरकारों की सहायता करता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, महिला/अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के प्रमोटरों, पीएसीएस और एफपीओ आदि के लिए 33.33% और अन्य के लिए 25% की सब्सिडी उपलब्ध है।

29. **प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) -**इस योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाते हुए सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को लक्षित करना है, जिसमें 11 विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं, राज्य योजनाओं और निजी भागीदारी के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि डीडीकेवाई जिलों में उत्पादकता में सुधार किया जा सके।

30. **कृषि वानिकी**- यह योजना कार्यान्वयन के लिए सरकारी एजेंसियों को 100% वित्तीय सहायता और निजी एजेंसियों, निजी किसानों और उद्यमियों को नर्सरी स्थापित करने और पौध उगाने के लिए 50% सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य किसानों की तकनीकी क्षमता को सुदृढ़ करना, उन्नत कृषि वानिकी मॉडल को अपनाने को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री एवं उन्नत कृषि पद्धतियों के उपयोग के माध्यम से किसानों की उत्पादकता और आय को बढ़ावा देना है।
